झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-53/2017-18/14 रा0 (विभाग)/मत्स्य, राँची, दिनांक 28.09.2020

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत् बजट शीर्ष 2405-मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि मो0 150.00 लाख रू0 मात्र के अधीन मो0 149.955 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0-12 रा0 (विभाग) दिनांक 06.06.2019 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0 533 दिनांक 06.06.2019 के द्वारा गत् वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य राज्य योजना में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन के तहत् "मत्स्य विपणन योजना" की कुल मो0 149.955 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ) रू0 मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य मत्स्य विक्रेताओं को चिन्हित कर हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं विपणन/परिवहन इकाई के रुप में अनुदान पर मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल, एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा Fish Processing Unit के अनुशंसित तकनीक के क्रियान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की योजना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षो में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है : **(राशि लाख रू0 में)**

(क) माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500101500323**	70.00	70.00	0.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500789500323**	20.00	19.955	0.045
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500796500323**	60.00	60.00	0.00
	योग :	150.00	149.955	0.045

मो0 एक करोड़ उन्चास लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ रू0 मात्र।

3. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मछली बेचने वाले मत्स्य विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों प्रसंस्करण/विपणन/परिवहन इकाई हेतु अनुदान पर आवश्यकता अनुसार मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा Fish Processing Unit के अनुशंसित तकनीक के कियान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

4. निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित कमिटी जिसमें विभाग स्तर के एक पदाधिकारी भी सदस्य के रुप में हैं, उक्त कमिटि द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त/अनुशंसित ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल के प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं स्पेशिफिकेशन आदि के आधार पर उपयुक्त मॉडल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को दिये जाने वाले उपकरणों का मॉडल अनुमोदन भी इस कमिटि द्वारा ही किया जायेगा।

5. इस योजना के तहत् अनुदान पर दिए जाने वाले ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल, मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क इत्यादि के दर का निर्धारण स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रति इकाई राशि के अंतर्गत ही जिला स्तर पर विहित प्रकिया अपनाते हुए किया जाएगा।

6. (क) शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क (लगभग 3-4 टन क्षमता के पिक-अप वैन के उपर फैब्रिकेटेड) दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो0 10.00 लाख रु0 मात्र होगा। इसमें विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत होगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

(ख) मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु ऑटो-रिक्शा (लगभग 1.0 टन क्षमता), ई-रिक्शा (लगभग 400-500 कि0 ग्रा0 क्षमता) एवं पिक-अप वैन (लगभग 3-4 टन क्षमता) अनुदान पर दिया जायगा।

प्रति ऑटो-रिक्शा में विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 1.80 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

प्रति ई-रिक्शा विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 80 प्रतिशत अथवा 1.60 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। ई-रिक्शा में रिमॉडलिंग के व्यय सहित शेष राशि लाभुक के द्वारा भुगतान किया जायेगा।

प्रति पिक-अप वैन में विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 3.60 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा। वैसे लाभुक जिन्हें ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा/पिक-अप वैन अनुदान पर दिया जायेगा उन्हें स्टॉल एवं अन्य उपकरणों के क्रय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(ग) शहरी क्षेत्र के (प्रखण्ड स्तर तक) मत्स्य विक्रेताओं को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु स्टॉल दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो0 40,000/-रु0 मात्र होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग कोटि के लाभुक का अंशदान कुल लागत में 5 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के लाभुकों का 10 प्रतिशत होगा।

(घ) खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अधिकतम् 5,000/-रु0 मूल्य के उपकरण अनुदान पर देय होंगे जिनमें लाभुक का अंशदान 5 प्रतिशत होगा।

(ड.) एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो एवं देवघर द्वारा

सक्षम स्तर से चयनित लाभुकों को प्रति लाभुक अधिकतम मो0 1.00 लाख रु0 का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 07 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा।

(च) CIFT द्वारा Fish Processing Unit के अनुशंसित तकनीक के कियान्वयन एवं प्रदर्शन-प्रशिक्षण हेतु राशि मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची द्वारा व्यय की जाएगी। इसकी कार्य योजना का अनुमोदन यथा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कमिटि से कराया जाएगा।

7. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल, एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण के लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ निम्नवत् गठित समिति के द्वारा किया जायेगा :-

(i) संबंधित जिला के उपायुक्त-अध्यक्ष

(ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी - सदस्य

(iv) जिला गव्य विकास पदाधिकारी- सदस्य

(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य

(vi) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य

(vii) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

9. मत्स्य लाभुकों/विक्रेताओं का चयन निम्न आधार पर किया जाएगा-

(i) संबन्धित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।

(ii) लाभुक चयन के क्रम में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) दिव्यांग कोटि के तहत आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न करना होगो।

(iv) आवेदक मत्स्य विपणन कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।

(v) इस योजना के तहत महिला समूह के सदस्य अथवा महिला समूह के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

उपर्युक्त किसी कोटि से आच्छादित आवेदक, आवेदन देने हेतु योग्य होगा बशर्ते अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम हो।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना का नाम को स्टॉल तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से स्टॉल/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

11. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III' के रुप में संलग्न है। जिलावार भौतिक लक्ष्यों में आंशिक परिवर्तन निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

12. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III') के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

14. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

15. इस योजना का विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराने की जवाबदेही निदेशक, मत्स्य की होगी।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 -01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

18. यह पूर्णत: राज्य योजना है।

19. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत बजट मो0 150.00 लाख में से मो0 92.642 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

20. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है।

21. विषयगत् योजना अंतर्गत साम्रगियों के क्रय में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 14 रा०(विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 28.09.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 14 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 28.09.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 14 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 28.09.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 14 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 28.09.2020

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

02-08-2020 fm

परिशिष्ट 'I'

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री														कुल वित्तीय लक्ष्य
		मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क हेतु अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मछली परिवहन हेतु पिक-अप वैन के लिये अनुदान (60%)		एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	CIFT द्वारा अनुशंसित तकनीक के कियान्वयन हेतु राशि	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	हजारीबाग	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	3	0.1425	0.00	2.3225
2	रामगढ़	1	6.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	3	0.1425	0.00	8.7025
3	कोडरमा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.00	1	0.38	2	0.0950	0.00	2.0750
4	बोकारो	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	2.00	2	0.76	3	0.1425	0.00	4.7025
5	धनबाद	0	0.00	2	3.60	1	1.60	1	3.60	0	0.00	2	0.76	3	0.1425	0.00	9.7025
6	चतरा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.00	2	0.76	2	0.0950	0.00	2.4550
7	गिरिडीह	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	2	0.0950	0.00	2.2750
8	देवघर	0	0.00	2	3.60	2	3.20	1	3.60	2	2.00	2	0.76	3	0.1425	0.00	13.3025
9	गोड्डा	0	0.00	2	3.60	2	3.20	1	3.60	0	0.00	2	0.76	2	0.0950	0.00	11.2550
10	पलामू	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	3	0.1425	0.00	2.7025
11	गढवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	2	0.0950	0.00	0.4750
12	म0कि0प्र0केन्द्र, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.0000	10.03	10.0300
13	अनुसंधान, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.0000	0.00	0.0000
	उप योग	**1**	**6.00**	**11**	**19.80**	**7**	**11.20**	**3**	**10.80**	**4**	**4.00**	**18**	**6.84**	**28**	**1.3300**	**10.03**	**70.0000**

(कुल मो0 सत्तर लाख रू0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

(अबूबक्कर सिद्दीक, पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'II'

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															कुल वित्तीय लक्ष्य
		मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क हेतु अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मछली परिवहन हेतु पिक-अप वैन के लिये अनुदान (60%)		एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	CIFT द्वारा अनुशंसित तकनीक के कियान्वयन हेतु राशि	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	0.00	1	1.80	0	0.00	1	3.60	0	0.00	2	0.760	3	0.143	0.000	6.303
2	खूंटी	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	2	0.095	0.000	1.895
3	गुमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	0.475
4	सिमडेगा	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	2.275
5	लोहरदगा	1	6.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	8.075
6	लातेहार	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	2.275
7	जमशेदपुर	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	2.275
8	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	1	3.60	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	5.675
9	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	3	0.143	0.000	0.523
10	दुमका	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	3.875
11	जामताड़ा	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	2.275
12	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.60	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0.000	3.600
13	पाकुड़	0	0.00	1	1.80	1	1.60	1	3.60	0	0.00	1	0.380	2	0.095	0.000	7.475
14	म0कि0प्र0केन्द्र, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	10.005	10.005
15	अनुसंधान, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.000	0	0.000	0.000	3.000
	उप योग	**1**	**6.00**	**8**	**14.40**	**4**	**6.40**	**4**	**14.40**	**3**	**3.00**	**12**	**4.560**	**26**	**1.2350**	**10.005**	**60.0000**

(कुल मो0 साठ लाख रू0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

(अबूबक्कर सिद्दीक पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'III'

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								कुल वित्तीय लक्ष्य
		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रॉची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.143	0.143
2	खूंटी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
3	गुमला	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.095	1.895
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	1	0.38	2	0.095	0.475
6	पलामू	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.095	1.695
7	लातेहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
8	गढ़वा	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.095	1.895
9	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
10	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
11	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
12	हजारीबाग	1	1.80	0	0.00	1	0.38	0	0.000	2.180
13	रामगढ़	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.000	1.800
14	कोडरमा	1	1.80	0	0.00	1	0.38	2	0.095	2.275
15	बोकारो	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
16	धनबाद	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.000	1.600
17	चतरा	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.000	1.800
18	गिरिडीह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
19	देवघर	0	0.00	0	0.00	1	0.38	4	0.190	0.570
20	दुमका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.095	0.095
21	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
22	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
23	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
24	गोड्डा	0	0.00	2	3.20	0	0.00	2	0.095	3.295
कुल योग		**6**	**10.80**	**4**	**6.40**	**4**	**1.52**	**26**	**1.235**	**19.955**

(कुल मो0 उन्नीस लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ रू0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

(अबूबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सांचेव